बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन काल में दिनांक 26.06.2010 को संसीमित बंदी भूषण साह के पलायन में संलिप्तता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2884 दिनांक 09.07.2010 द्वारा श्री राम को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2885 दिनांक 09.07.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–4047 दिनांक 07.09.2012 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त करते हुए निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

3. श्री राम के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3385 दिनांक 03.06.2016 के द्वारा श्री राम को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

" पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए "।

4. उक्त आरोप प्रकरण में श्री राम दिनांक 09.07.2010 से 06.09.2012 तक निलंबित रहें। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के उप नियम–5 में विहित प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 6329 दिनांक 17.10.2016 द्वारा श्री राम से अभ्यावेदन की माँग की गई, कि क्यों नहीं इस आशय का निर्णय लिया जाय कि निलंबन अवधि के लिए उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उक्त पत्र की प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा को भेजते हुए उन्हें पत्र का तामिला श्री राम को कराने का निदेश दिया गया था।

5. तद्आलोक में अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा के पत्रांक 2232 दिनांक 31.10.2016 द्वारा सूचित किया गया कि श्री राम को उनके पते पर विशेष दूत के माध्यम से उक्त पत्र दिनांक 31.10.2016 को तामिला करा दिया गया है। परन्तु पत्र तामिला होने के 60 दिनों की निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद श्री राम का अभ्यावेदन अप्राप्त है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री राम को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

6. श्री राम के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए विनिश्चय किये गये दंड एवं उस पर बिहार लोक आयोग से परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3385 दिनांक 03.06.2016 के द्वारा " पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए " का दंड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री राम का निलंबन औचित्यपूर्ण था जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 (5) (7) के आलोक में संसूचित किया जाता है कि श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को निलंबन अवधि दिनांक 09.07.2010 से 06.09.2012 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि एवं पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक–कारा / नि0को0(क)–56 / 10.....दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0 / –

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा / नि0को0(क)–56 / 10.....509.....दिनांक– 07-02-2017.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्री घनश्याम राम, काराधीक्षक (सेवानिवृत्त), मो0+पो0–लक्ष्मी सागर, वार्ड नं0–15, जिला–दरभंगा, बिहार / आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का गोपनीय कोषांग / प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचनर्थ प्रेषित।

7.2.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)